



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933

No. 1482]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

का.आ. 1775(अ).—यतः, मै. मेडिकोप्स आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य के ग्राम पांडा, तहसील महू, जिला इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 31 अगस्त, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1389(अ) में 11.936 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, मै. मेडिकोप्स आईटी पार्क प्राईवेट लिमिटेड ने सम्पूर्ण 11.936 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 21 जनवरी, 2011 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 की धारा 1 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई है।

[फा. सं. एफ. 2/103/2006-ईपीजेड]

अनूप वधावन, संयुक्त सचिव

2877 GI/2011

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2011

S.O. 1775(E).—Whereas, M/s. Medicaps IT Park Private Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology at Vilage Panda, Tehsil Mahu, District Indore, Madhya Pradesh;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 11.936 hectares at the above location as Special Economic Zone vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 1389(E), dated 31st August, 2006;

And, whereas, M/s. Medicaps IT Park Private Limited has proposed to denotify the entire area of 11.936 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 21st January, 2011;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/103/2006-EPZ]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.